

पत्रांक: 334/ एमटी0/54एम0-202/2002 ।

दिनांक: 20/7/2004

कार्यालय पत्र

श्रीमती कुवती इण्टरप्राइजिज [सोल प्री0 श्री अमिल अग्रवाल], 141, न्यू जवाहर नगर, जालंधर [पंजाब] का लोक निर्माण विभाग, 3090 में कार्य करने हेतु कंपनी [की] में पंजीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक 30एमटी0/54एम0-202/2002 दिनांक 2-1-2003 [पंजीकरण संख्या -154 मार्च 'ए' कंपनी/2002] दिनांक 30-6-2003 तक के लिए किया गया था ।

फर्म के प्रोपराइटर श्री अमिल अग्रवाल द्वारा पंजीकरण के समय उपलब्ध कराया गया अनुभव प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र का स्थापन कराये जाने पर कड़ी नहीं पाया गया है, जिसके लिए इस कार्यालय के पत्र सं0-887एम0 टी0/54एम0-202/02 दिनांक 23-2-2004 एवं 1600एमटी0/54एम0-202/2002 दिनांक 14-5-2004 द्वारा फर्म के प्रोपराइटर श्री अमिल अग्रवाल से निर्धारित अवधि अन्दर [एक माह] स्पष्टीकरण मांगा गया है । उक्त निर्धारित अवधि अतीत हो जाने के पश्चात् श्री फर्म के प्रोपराइटर का उत्तर अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उक्त कृत्य के लिए श्रीमती कुवती इण्टर प्राइजिज के प्रोपराइटर श्री अमिल अग्रवाल, 141, न्यू जवाहर नगर, जालंधर [पंजाब] का उक्त पंजीकरण स्तर द्वारा निरस्त करते हुए कंपनी [की] black list में डाला जाता है ।

मुख्य अभियन्ता [मुहम्मद-2]
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1-समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, 3090 ।
 - 2-श्री अमिल अग्रवाल, सोल प्रोपराइटर, श्रीमती कुवती इण्टरप्राइजिज, 141, न्यू जवाहर नगर, जालंधर [पंजाब] ।
 - 3-अधिकांती अभियंता, निर्माण कड-1, लोक निर्माण विभाग, सी0 एण्ड आर0 इन्चार्ज जालंधर को उनके पत्रांक 1791 दिनांक 12-12-03 के संदर्भ में ।
 - 4-उप आसुता जालंधर को उनके पत्रांक 2144एमटी0-4/एम0एम0 दिनांक 1-3-04 के संदर्भ में ।
 - 5-श्री डीदार नाथ निषाद, वरिष्ठ सिविल, सामान्य कार्य, कार्यालय प्रमुख प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को दिनांक में रखा है ।

पंजीकृत
पंजीकृत
पंजीकृत

वरिष्ठ स्टाफ अभियंता [सामान्य]
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।